एक-एक मुख्य मंत्री होना चाहिए जिनके लिए अभी भी क्षेत्रीय बिक्री कर समितियां हैं। इसमें केन्द्रीय पैट्रोलियम, उद्योग तथा रसायन मंत्रालयों के मंत्री भी होने चाहिए। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का वित्त राज्य मन्त्री या उप मन्त्री भी इसका एक सदस्य होना चाहिए। यह समिति भारत सरकार द्वारा मनोनीत की जाएगी जो मुख्य मंत्रियों में से एक को समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत करेगी। समिति को सरकारी तंत्र द्वारा मदद दी जाएगी जो स्वयं समिति से भिन्न एक स्थायी एकक होगा।

13. समिति ने उपभोक्ता मूल्यों पर योजना के प्रभाव के प्रश्न पर भी विचार किया है। समिति व्यापार की प्रायः अन्तिम अवस्था की बजाय एक पूर्ववर्ती अवस्था पर कर लगाये जाने के परिवर्तन के कारण मूल्यों में संभावित वृद्धि का तथा समस्त भारत के लिए अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की एक समान दर निर्धारित करने के कारण उपभोक्ता मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। यह नोट किया गया है कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की दरें निर्धारित करने में यह संभव है कि कुछ राज्यों में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का भार बिक्री कर के वर्तमान भार से कम हो सकता है। तथापि, कुछ अन्य राज्यों में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का भार बिक्री करके वर्तमान भार से अधिक हो सकता है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इसे, कर की दरों में एकरुपता प्राप्त करने तथा उसके परिणामतः उपभोक्ता मूल्य में एकरुपता लाने की योजना लागू करते हुए, पूर्णतः एक साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि, समिति ने मूल्यों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों के संबंध में अथवा उसे निश्चित समय के लिए भिन्न-भिन्न रखने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

14. समिति ने, अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए संगत केन्द्रीय तथा राज्य कर कानूनों तथा अन्य संबंधित मामलों में परिवर्तन करने संबंधी प्रश्न पर भी विचार किया है।

15. समिति के अर्थशास्त्री सदस्य, प्रो० प्रधान एच० प्रसाद की असहमति टिप्पणी भी रिपोर्ट में जोड़ी गयी है। असहमति टिप्पणी अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की योजना से होने वाली बुराइयों से संबंधित है जिसमें उपभोक्ता मूल्यों पर राज्यों के बीच अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की आय के विभाजन तथा बिक्री कर को वित्तीय नीति के औजार के रूप में प्रयुक्त कर सकने की राज्यों की सामर्थ्य से संबंधित है। इन मुद्दों को समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव ने रिपोर्ट में जोड़ी गयी अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट करने की कोशिश की है।

बेरोजगार युवकों को सहायता देने के लिए बैंकों की नई योजना

1086. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री बापूसाहिब परुलेकर :
श्री मोती भाई आर० चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगार युवकों को अपनी आजीविका कमाने में सहायता करने के लिए हाल ही में बैंकों द्वारा एक नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत देश में कितने युवकों को लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कोई नयी योजना आरम्भ करने का निर्णय नहीं किया गया है। अलबत्ता, बैंक पहले से ही लघु व्यवसाय, व्यापार अथवा अन्य आर्थिक कार्यों के लिए लोगों की सहायता कर रहे हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Rise in Price Index

1087. SHRI B.D. SINGH :
PROF. RUPCHAND PAL :
SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
SHRI G.M. BANATWALLA :
SHRIMATI KISHORI SINHA :
SHRI HANNAN MOLLAH :
SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY :
SHRI RASHEED MASOOD :
SHRI R.N. RAKESH :
SHRI ASHFAQ HUSAIN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the rise in the price index and the rise in prices of food articles since the presentation of 1983 Budget; and

(b) what are the reasons for the unabated price spiral and what measures have been taken by Government to check the rise in the price index and continuous inflationary trends ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) Between week ended 26.2.1983 and 2.7.1983 the Wholesale Price Index for all commodities (Base : 1970-71=100) rose by 5.2 per cent and that for food articles by 7.1 per cent.

The price rise during this period is mainly due to seasonal factors. A number of steps have been taken both on the supply and demand side; these include further strengthening of the public distribution system, effective use of the release mechanism in respect of sugar and augmentation of stocks by import of wheat and rice. The price situation is being kept under surveillance and appropriate measures are taken in the light of the emerging trends.

हिन्दी भाषी राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक में दैनिक कार्यों के लिए भाषा

1088. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के हिन्दी भाषी राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक में दैनिक कार्य केवल अंग्रेजी में किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में हिन्दी भाषी राज्यों में कार्यरत उपरोक्त प्रत्येक बैंक के जोनल आफिस और रीजनल मैनेजर आफिस में कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनके उत्तर किस भाषा में दिए गए और इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंक उपभोक्ता को उसी भाषा में उत्तर देने का है, जिसमें वह पत्र व्यवहार करना चाहता है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं । "क" क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर राष्ट्रीकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक में दैनिक कार्य दोनों भाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में किया जा रहा है और कुछ बैंकों ने राजपत्र में अपनी उन शाखाओं के नाम अधिसूचित भी करवाए हैं जिनमें उनके 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

(ख) से (घ) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 में यह परिकल्पना की गई है कि